प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तामील...	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
/2/26	वकील वादी उप. । बहस वाद पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 26/2/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/2/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 11/3/26 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
11/3/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18/3/26 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
18/3/26	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
264/दावा/2025	07.02.2025	18.03.2026

1. मोडु आयु 80 वर्ष पुत्र स्वर्गीय पॉच्या जाति बोला (बलाई)
2. शम्भू आयु 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बिरधीलाल जाति बोला (बलाई)
3. शिवराज आयु 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बिरधीलाल जाति बोला (बलाई) निवासीगण ग्राम भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर बालिग पुत्र लदूरलाल
2. लेखराज बालिग पुत्र उद्धा
3. राजेन्द्र बालिग पूत्र गोपाल
4. सूरजमल बालिग पुत्र देवा जातियान बैरवा निवासीयान बैरवा बस्ती ग्राम लाडपूर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)
5. रामदेवा आयू 70 वर्ष पुत्र स्वर्गीय ग्यारस्या
6. मदन आयु 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय ग्यारस्या जाति बोला(बलाई) निवासीयान ग्राम भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
7. चौथमल आयु बालिग पुत्र स्वर्गीय छीतर
8. मुकेश कुमार आयु बालिग पुत्र स्वर्गीय छीतर जातियान बोला (बलाई) निवासीयान ग्राम भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपूर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
9. रेखाबाई आयु बालिग पत्नी स्वर्गीय हरिराम
10. विजयलक्ष्मी नाबालिग पुत्री स्वर्गीय हरिराम जर्ये संरक्षक माता रेखाबाई
11. सोनू रेगर आयु नाबालिग पुत्र स्वर्गीय हरिराम नि. भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपुर तह. तालेड़ा जिला बून्दी
12. शान्ति बाई आयु बालिग पत्नी स्वर्गीय छीतर जाति बोला(बलाई) निवासी ग्राम भूमाखेडा पोस्ट लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीगणः- श्री जितेन्द्र कोठारी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :-

- : : निर्णय : : -

वाद अर्न्तगत धारा 183 व 188 आरटी एक्ट

वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 101 की खसरा संख्या 61(डोली) रकबा 2.6224 हैक्टयर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज) में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में खातेदार ग्यारस्या पुत्र गणेश हिस्सा 1/4, चौथमल पुत्र छीतर हिस्सा 1/8,पॉच्या पुत्र गणेश हिस्सा 1/4, मुकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय छीतर हिस्सा 1/8, रेखाबाई पत्नी स्वर्गीय हरिराज हिस्सा 1/24, लक्ष्मी नाबालिग पुत्री स्वर्गीय हरिराम हिस्सा 1/24, शान्ति बाई पत्नी स्वर्गीय छीतर हिस्सा 1/8, सोनू नाबालिग पुत्र स्व0हरिराम जर्ये सरंक्षक रेखा बाई हिस्सा 1/24 दर्ज है। खातेदार पॉच्या का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान वादी पुत्र मोडु व बिरधीलाल है। बिरधीलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण 2 लगायत 3 है। इसी प्रकार खातेदार ग्यारस्या का भी स्वर्गवास हो चूका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 5 व 6 है इसी प्रकार खातेदार छीतर

भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी पुत्र 7 व 8 है तथा एक पुत्र हरिराम था जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 9,10,11 है तथा शान्ति बाई बेवा भीतर प्रतिवादी संख्या 12 है जो इस वाद में प्रतिवादीगण बनाये गए है। वादीगण व प्रतिवादीगण 5 लगायत 12 में वाद पत्र में वर्णित भूमि का मौके पर काफी समय से बंटवारा करके मौके पर काश्त कर रहे है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का किसी प्रकार का अधिकार, आधिपत्य नही है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने जबरदस्ती ताकत के बल पर आज से करीब 15-17 दिन पहले वादीगण के हिस्से की भूमि के पश्चिमी दिशा की तरफ कब्जा कर लिया है जिसके बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 से कहासुनी की प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने के लिए वादीगण को आश्वासन दिया। परन्तु कल दिनांक 26-01-2025 को वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नही हटाने बाबत दुबारा कहासुनी की तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण को धमकी दी की अभी तो थोड़ी से जमीन पर कब्जा किया है हम तुम्हारी बाकी जो जमीन है उस पर कब्जा करके निर्माण कार्य करेंगें तथा जो कोई बीच में आयेगा उसको मारपीट कर भगा देगें। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के खिलाफ वाद कारण दिनांक 26-01-2025 से निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भुमि पर से वादीगण के हिस्से की भूमि में जो कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने कर रखा है उसमें से बेदखल करवायें तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वे वादीगण के हिस्से की शेष भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नही करें। वादीगण 5 लगायत 12 उक्त वर्णित भूमि में कानूनन सहखातेदार की हैसियत से काबिज है इसलिए उनको उक्तवाद में पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से की पश्चिम दिशा की तरफ जो अतिक्रमण कर कब्जा किया है उसे हटवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को इस आशय की भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की शेष भूमि पर भविष्य में कब्जा करने की न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करायें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में स्वयं शम्भु आ0 स्व. बिरधीलाल जाति बोला निवासी भूमाखेडा ने शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2076 वाके ग्राम लाडपुर प्रदर्श-1, जमाबन्दी का नक्शा वाके ग्राम लाडपुर प्रदर्श-2 पेश किये।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण 5 लगायत 12 में वाद पत्र में वर्णित भूमि का मौके पर काफी समय से बंट्वारा करके मौके पर काश्त कर रहे है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का किसी प्रकार का अधिकार, आधिपत्य नही है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने जबरदस्ती ताकत के बल पर आज से करीब 15-17 दिन पहले वादीगण के हिस्से की भूमि के पश्चिमी दिशा की तरफ कब्जा कर लिया है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भुमि पर से वादीगण के हिस्से की भूमि में जो कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने कर रखा है उसमें से बेदखल करवायें तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वे वादीगण के हिस्से की शेष भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नही करें।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचें है कि वाद वर्णित आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 101 की खसरा संख्या 61(डोली) रकबा 2.6224 हैक्टयर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में वादीगण की पैतृक सम्पति होने से खातेदारी अधिकार प्रदत्त है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का उक्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही होने से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का वादीगण की भूमि पर कब्जा करने इत्यादि का कोई अधिकार नही होने से वादीगण की भूमि से प्रतिवादी 1 लगा. 4 का कब्जा हटवाये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 101 की खसरा संख्या 61(डोली) रकबा 2.6224 हैक्टयर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 101 की खसरा संख्या 61(डोली) रकबा 2.6224 हैक्टयर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी पर कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी।
इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

1. मोडु आयु 80 वर्ष पुत्र स्वर्गीय पॉच्या जाति बोला (बलाई)
2. शम्भू आयु 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बिरधीलाल जाति बोला (बलाई)
3. शिवराज आयु 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बिरधीलाल जाति बोला (बलाई) निवासीगण ग्राम भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर बालिग पुत्र लदूरलाल
2. लेखराज बालिग पुत्र उद्धा
3. राजेन्द्र बालिग पूत्र गोपाल
4. सूरजमल बालिग पुत्र देवा जातियान बैरवा निवासीयान बैरवा बस्ती ग्राम लाडपूर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)
5. रामदेवा आयू 70 वर्ष पुत्र स्वर्गीय ग्यारस्या
6. मदन आयु 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय ग्यारस्या जाति बोला(बलाई) निवासीयान ग्राम भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
7. चौथमल आयु बालिग पुत्र स्वर्गीय छीतर
8. मुकेश कुमार आयु बालिग पुत्र स्वर्गीय छीतर जातियान बोला (बलाई) निवासीयान ग्राम भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपूर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
9. रेखाबाई आयु बालिग पत्नी स्वर्गीय हरिराम
10. विजयलक्ष्मी नाबालिग पुत्री स्वर्गीय हरिराम जर्ये संरक्षक माता रेखाबाई
11. सोनू रेगर आयु नाबालिग पुत्र स्वर्गीय हरिराम नि. भूमाखेड़ा पोस्ट लाडपुर तह. तालेड़ा जिला बून्दी
12. शान्ति बाई आयु बालिग पत्नी स्वर्गीय छीतर जाति बोला(बलाई) निवासी ग्राम भूमाखेडा पोस्ट लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी. एक्ट
(264/दावा/2025)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री जितेन्द्र कोठारी एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 101 की खसरा संख्या 61(डोली) रकबा 2.6224 हैक्टयर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 101 की खसरा संख्या 61(डोली) रकबा 2.6224 हैक्टयर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी पर कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज.............................. मुबलिक................................. बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह...........
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई		रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान				स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 18 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा